राजस्थान सरकार

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

[illegible]

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]

[illegible]

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्री [illegible]
5. [illegible] पुत्री [illegible]
6. [illegible] पुत्री [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible] पुत्री [illegible]
9. [illegible] पुत्र [illegible]
10. [illegible] पुत्र [illegible]
11. [illegible] पुत्र [illegible]
12. [illegible] पुत्र [illegible]
13. [illegible] पुत्र [illegible]
14. [illegible] पुत्र [illegible]
15. [illegible] पुत्र [illegible]
16. [illegible] पुत्र [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible] पुत्र [illegible]
19. [illegible] पुत्र [illegible]
20. [illegible] पुत्र [illegible] निवासीगण [illegible] तहसील [illegible] तिजारा अलवर

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

21. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक एवं हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरार हक एवं हुक्मइम्तनाई दवामी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, 988 रकबा 2 बिस्वा, 993 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 994 रकबा 4 बिस्वा, 995 रकबा 11 बिस्वा 996 रकबा 11 बिस्वा 997 रकबा 10 बिस्वा, 998 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 402 थे। आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किशनचन्द पुत्र बोधाराम के नाम से थी तथा खसरा नम्बर 402 मिन रकबा 5 बिस्वा आराजी बोधाराम पुत्र रैमलदास के नाम से थी जो दोनो ही पिता–पुत्र थे। जिनका स्वर्गवास हो गया और यह आराजी किशनचन्द के पुत्र के नाम से हो गई जिसका हाल खसरा नम्बर 987 बना तथा प्रकाश देवी व उसके पुत्रों ने इस आराजी खसरा नम्बर 987 मिन रकबा 2 बीघा आराजी का बेचान जर्ये रजिस्ट्रर्ड सेलडीड दिनांक 30.06.71 को वादीगण बदलुराम, हुकमसिंह, दाताराम पुत्रान पतराम के नाम से कर दिया। आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 मिन रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 402 मिन रकबा 2 बीघा आराजी टेकचन्द पुत्र भवानीदास खत्री के नाम से थी जिसका बेचान टेकचन्द ने दिनांक 04.06.74 को गोरीशंकर व राधेश्याम पुत्रान रामजीलाल को कर दिया जिसका हाल खसरा नम्बर 987 बना तथा गोरीशंकर व राधेश्यान पुत्रान रानजीलाल ने दिनांक 07.07.76 को आराजी खसरा नम्बर 987 मिन रकबा 6 बीघा का बेचान वादीगण बदलुराम, हुकमसिंह, दाताराम व जयनारायण पुत्रान पतराम जाति अहीरान यादव निवासी मोहनपुर तहसील रेवाडी को कर दिया। आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 का बंटवारा उसके खातेदारान काबिजदारान ने पूर्व में ही कर लिया था तथा सभी खातेदारान काबिजदारान अपने–2 हिस्से पर काबिज थे वादीगण भी अपनी खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 987 पर काबिज थे जिस वादीगण के कब्जें की आराजी का हाल खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा कायम हुआ है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा पर हीं काबिज हैं और काश्तकार रहे हैं और आज भी वादीगण का आराजी हाल खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा है। आराजी खसरा नम्बर 987, 988, 993, 994, 995, 996 व 998 का बंटवारा उसके खातेदारान के मध्य पूर्व में ही हो चुका था तथा आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा आराजी गोरीशंकर राधेश्याम पुत्रान रामजीलाल व प्रकाशदेवी बेवा किशनचन्द व इन्द्रपाल, मोहनलाल, राजकुमार पुत्रान स्व0 किशनचन्द के हिस्से में आई थी जिसका बेचान इन्होने वादीगण को कर दिया था और वादीगण आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है उसे कलमजन किया जावें तथा आराजी खसरा नम्बर 988, 993, 994, 995, 996, 997 व 998 में जो वादीगण का नाम दर्ज किया गया है उसे कलमजन किया जावें और इसमें केवल प्रतिवादीगण का नाम ही रखा जावें। वादीगण ने दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)